चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

(3).

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यापाल सिंह,क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव,प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव,पीआरओ श्री पंकज तिवारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में तैनात उपनिरीक्षक स्व0 गफूर खां जिनकी सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर शोक सलामी दी गयी। पुलिस अधीक्षक,अपर

पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा स्व0 उपनिरीक्षक के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अन्तिम विदाई दी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मारकुण्डी पुलिस द्वारा डीसीएम में क्रूरता पूर्वक 35 नफर पशुओं(भैसों ,पडवा) को लादकर परिवहन करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1.सब्बीर पुत्र हनीफ नि० सचौली थाना थरियाव जिला फतेहपुर

2.सहीम अली पुत्र मुख्तार अहमद नि0 पूरेइलियास खोजे का पुरवा थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर

3.वीरन सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रकाश निवासी भदौइया हासिमपुर थाना थरियाव जिला फतेहपुर

बरामदगी-

35 अदद पशु(भैंस, पडवा)

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.02.2026 को उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना मारकुण्डी व उनकी टीम जो में रात्रि क्षेत्र भ्रमण व गश्त में रवाना होकर ग्राम छेरिहा मे मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि ग्राम इटवा डुड़ैला UPMP के बार्डर से एक DCM वाहन संख्या UP71AT4159 मे अधिक संख्या मे पशु (भैंस, पडवा) को निर्दयता पूर्वक मुँह को रस्सी से बाँधकर मानिकपुर की तरफ ले जा रहे है। यदि जल्दी करेगे तो पकडे जा सकते है। पुलिस टीम द्वारा थाना तिराहा के पास बैरियर लगा कर सघन चैकिंग के दौरान एक डीसीएम वाहन का नंबर UP 71AT4159 को रोका गया जिसमे भैस, पडवा को बेरहमी से ठूस कर निर्दयता पूर्वक लादे हुए थे। ड्राइवर व कैबिन में बैठे हुए व्यक्तियों को नीचे उतार कर नाम पता पूछते हुए गाड़ी में लादे जाने वाले पशुओं के बारे मे पूछा गया तो पहला ने अपना नाम सब्बीर पुत्र हनीफ नि० सचौली थाना थरियाव जिला फतेहपुर दूसरा ने अपना नाम सहीम अली पुत्र मुख्तार अहमद नि0 पूरेइलियास खोजे का पुरवा थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर तीसरा ड्राइवर ने अपना नाम वीरन सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रकाश निवासी भदौइया हासिमपुर थाना थरियाव जिला फतेहपुर बताया तथा एक स्वर में बताये कि DCM में 35 अदद भैंस, पडवा हमलोग सतना म0प्र0 से लादकर फतेहपुर उ0प्र0 मे बेचने के लिए ले जा रहे है। पशुओं के अधिकारिता तथा खरीद फरोक्त तथा परिवहन से सम्बन्धित कागजात तथा वाहन के कागजात व ड्राइवर से ड्राइवरी लाइसेन्स की मांग मौके पर की गयी तो दिखा नहा सके। उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 11 (घ)(ड) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।।

गाड़ी पर चढ़कर एक-एक करके सभी भैस,पडवा को उतारा गया तो देखा कि कई भैसों ,पडवा के शरीर का भाग कट पीटा है पशुओं तथा वाहन को थाना परिसर मे लाकर खड़ा किया गया तथा ग्राम चौकीदारों की मदद से चारा तथा पानी खिलाया जा रहा है। चोटहिल जानवरों के इलाज व मेडीकल परीक्षण हेतु

अलग से रिपोर्ट प्रेषित किया जायेगी।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 20.02.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 690/09 धारा 279,304ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त

संतोष कुमार पुत्र अतर सिंह यादव निवासी ग्राम रूरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को 06 माह का साधारण कारावास व कुल 6000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षित विवरण-

दिनांक 16.06.2009 को वादी बदलू पुत्र चुन्ना निवासी भरखरवार थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि अभियुक्त संतोष उपरोक्त द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर उनके भतीजे हीरालाल उर्फ हिरोना को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 690/09 धारा 279,304ए भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री श्रीनिवास पाठक द्वारा संपादित की गई। विवेचक द्वारा दिनांक 24.06.2009 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।